

पत्रांक संख्या: एफ-5-56/2023-24/नालवा/370
सेवा में,

दिनांक: 12 मई, 2023

ICAR Website

विषय: गेहूं के नालवे की बिक्री हेतु कोटेशन आमंत्रित करने के संबंध में।
महोदय,

इस कार्यालय के मछरी प्रक्षेत्र पर नालवे बिक्री हेतु उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति गेहूं का नालवा खरीदने के लिये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से अपने अधिकतम रेटस मछरी प्रक्षेत्र के लिये लिफाफे में इस कार्यालय को दिनांक 16-5-2023 दोपहर 12.30 बजे तक प्रेषित करें। कुटेशन उसी दिन दिनांक 16-5-2023 को दोपहर 3.00 बजे समिति सदस्यों द्वारा खोली जायेंगी। यदि उक्त तिथियों में कोई अवकाश पड़ता है तो कोटेशन अगले कार्य दिवस में उपरोक्त समयानुसार ही स्वीकार एवं खोली जायेंगी।

कुटेशन बन्द लिफाफे तथा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में मछरी प्रक्षेत्र पर गेहूं के नालवे की बिक्री हेतु कोटेशन लिखा होना चाहिये।

कुटेशन के साथ प्रक्षेत्र के सामने दशाई गई निम्नानुसार धरोहर राशि का Bank draft/NEFT/RTGS/UPI या अन्य ऑनलाईन बैंकिंग की मूल प्रति कोटेशन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट लगाये कुटेशन मान्य नहीं होगी। बैंक ड्राफ्ट वरिष्ठ वैज्ञानिक, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, मोदीपुरम के नाम भारतीय स्टेट बैंक, (पल्हैडा कोड नं0-3067) पर देय होना चाहिये। NEFT/RTGS/UPI या अन्य कोई ऑनलाईन बैंकिंग माध्यम से धरोहर राशि जमा कराने हेतु विवरण निम्नवत है:-

बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा पल्हैडा 3067 खाता संख्या-10172900089 IFSC Code: SBIN0003067

प्रक्षेत्र	एरिया	धरोहर राशि
मछरी प्रक्षेत्र	लगभग 47.80 हैक्टेयर	रूपये 10,000/-

नियम एवं शर्तें:-

- 1- कोटेशन के साथ आधार कॉर्ड एवं पैन कॉर्ड की प्रति लगानी अनिवार्य है।
- 2- कार्य आदेश प्राप्त करने के पश्चात् नालवे का सम्पूर्ण भुगतान कौशलेश माध्यम से जैसे-बैंक ड्राफ्ट /ऑनलाईन ट्रांसफर अथवा कार्यालय में उपलब्ध पीओएस मशीन के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा।
- 3- जिस व्यक्ति के नालवे के रेट्स अधिकतम होंगे, उसको नालवे का पूरा भुगतान कार्यालय आदेश प्राप्त करने के पश्चात तुरन्त कार्यालय में जमा कराना होगा।
- 4- नालवा एक सप्ताह के अन्दर संबंधित प्रक्षेत्र से स्वयं काटकर तथा स्वयं के वाहन से उठाकर ले जाना होगा।
- 5- संबंधित प्रक्षेत्र से किसी भी तरह के यंत्र, ट्रैक्टर तथा श्रमिक उपलब्ध नहीं करवाये जायेंगे।

- 6- कुटेशन स्वीकृत होने पर यदि कोटेशन दाता समय सीमा में नालवे का उठान नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और इस विषय पर कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा।
- 7- मौसम अथवा अन्य किसी कारणवश नुकसान होने की स्थिति में ठेकेदार/कुटेशनदाता स्वयं ही जिम्मेदार होगा।
- 8- अन्य शर्तें यदि कोई हों तो कार्य शुरू होने से पहले बता दी जायेंगी, जिसे मानने के लिये आप बाध्य होंगे।
- 9- आयकर नियमों के नुकसान यदि कोई कर देय होगा तो वह भी नियमानुसार काटा जायेगा।

मन्त्री प माल
12/5/23
प्रभारी भण्डार

वितरण:-

- 1- नोटिस बोर्ड- मोदीपुरम, मछरी प्रक्षेत्र।
- 2- ग्राम प्रधान दौराला, सिवाया, चिन्दौडी, पाबली, पबरसा।
- 3- श्री दिनेश सिंह, स0मु0त0अ0, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, मोदीपुरम मेरठ।

मछरी प्रक्षेत्र (47.80 है0) पर गेहूं के नालवे की कोटेशन हेतु प्रोफार्मा

कुल है0	दर प्रति है0	कुल योग
47.80 है0		

क्रम सं0	कुटेशन दाता का विवरण	
1	नाम	
2	पूरा पता	
3	मोबाईल न0	
4	आधार न0	
5	धरोहर राशि जमा करने का विवरण	

दिनांक:

हस्ताक्षर